

नेपाल राजपत्र

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

काठमाडौं, फागुन ७ गते २०३५ साल

श्री ५ को सरकार
उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयको
सूचना

नेपाल कारखानामा र कारखानामा काम गर्ने मजदूरसम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ६० ख. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उक्त ऐनको दफा २७ बाहेक अन्य सम्पूर्ण दफाहरू निम्नलिखित प्रतिष्ठानहरूमा आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी तोकेको छः—

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| १. होटेल एम्बासेडर, लाजिम्पाट | २. होटेल माउण्ट मकालु, न्यूरोड |
| ३. होटेल सिद्धार्थ, कान्तीपथ | ४. होटेल हिमालयन भ्यू, ज्याठा |
| ५. होटेल मुस्ताङ, लगन | ६. होटेल ब्लू डायमण्ड, ज्याठा |
| ७. होटेल कोहिनूर, लगन | ८. द्वारिकाज भिलेज होटेल, काठमाडौं |
| ९. होटेल मायालु, दरबार मार्ग | १०. होटेल शोभा, बागबजार |
| ११. स्वा भ्वाय मोटेल, थापाथली | १२. ओरिएन्टल लज, काठमाडौं |
| १३. होटेल राप्ती, लैनचौर | १४. भक्तपुर गेष्ट हाउस, भक्तपुर |
| १५. होटेल फेवा, पोखरा | १६. होटेल कैलास, वीरगञ्ज |
| १७. होटेल होलिडे, जनकपुर | १८. होटेल रामा, जनकपुर |
| १९. पश्चिमति लज, भैरहवा | २०. होटेल बिसौनी, नारायणघाट |
| २१. होटेल राप्ती, हेटोंडा | २२. गैंडा वाइल्डलाइफ क्याम्प, चितवन |
| २३. इलेफ्यान्ट क्याम्प, चितवन | २४. दामन लज भ्यू टावर, दामन |
| २५. नगरकोट लज, नगरकोट | २६. एभरेष्ट कटेज, नगरकोट |
| २७. नीलगिरि भ्यू, जोमसोम। | |

आज्ञाले—

दीर्घराज कोइराला

श्री ५ को सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागू हुनेछ।

६९९

(३)

कर्णाटका

मिलिन विभाग का प्रियोग

कामिनी विभाग का प्रियोग

मिलिन विभाग का प्रियोग

कामिनी विभाग का प्रियोग

| | |
|--|-----------------------------|
| १०. शिक्षा का अध्ययन, शिक्षण संस्थानों का आवाहन और उपचार का प्राप्ति प्राप्ति के लिए विभाग का प्रियोग | ११. शिक्षा विभाग का प्रियोग |
| १२. विभाग का प्रियोग | १३. विभाग का प्रियोग |
| १४. विभाग का प्रियोग | १५. विभाग का प्रियोग |
| १६. विभाग का प्रियोग | १७. विभाग का प्रियोग |
| १८. विभाग का प्रियोग | १९. विभाग का प्रियोग |
| २०. विभाग का प्रियोग | २१. विभाग का प्रियोग |
| २२. विभाग का प्रियोग | २३. विभाग का प्रियोग |
| २४. विभाग का प्रियोग | २५. विभाग का प्रियोग |
| २६. विभाग का प्रियोग | २७. विभाग का प्रियोग |
| २८. विभाग का प्रियोग | २९. विभाग का प्रियोग |
| ३०. विभाग का प्रियोग | ३१. विभाग का प्रियोग |

१२०

शिक्षा
विभाग का प्रियोग
कामिनी विभाग का प्रियोग

(१)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।